संख्या: 09/2021/2536/छप्पन-2020-18/02 टी.सी.

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ : दिनांक: 28 जनवरी, 2021

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 437/आर०सी०एस०-2020-ए-1/2018 दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु धनराशि रू0 135.458 लाख (रूपया एक करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है | रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराए गए वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव में परियोजना की कुल लागत जी०एस०टी० सहित रु0 2237.85 लाख (रूपए बाईस करोड़ सैंतीस लाख पचासी हजार मात्र) बताई गई है।

2- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए पुनरीक्षित आगणन के परीक्षणोपरान्त प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रु0 2237.85 लाख आंकलित की गई है।

उक्त परियोजना हेतु शासनादेश संख्या- 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 द्वारा रु0 1883.65 लाख + जी0एस0टी0 की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0 753.46 लाख; शासनादेश संख्या- 27/2019/610/छप्पन-2019-18/02 टी.सी. दिनांक 15 मार्च, 2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 753.46 लाख; शासनादेश संख्या- 96/2019/2088/छप्पन-2019-18/02 टी.सी. दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 57.082 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। साथ ही शासनादेश संख्या- 97/ 2020/2221/ छप्पन-2020-18/02 टी.सी. दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 द्वारा रु0 2237.85 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 426.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस प्रकार उक्त परियोजना हेतु अब तक कुल धनराशि रू0 1990.502 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एयरपोर्ट के विकास कार्यों हेतु कुल स्वीकृत लागत रु0 2237.85 लाख के सापेक्ष रू0 135.458 लाख (रूपए एक करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 135.458 लाख (रूपए एक करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन अपने प्रस्ताव पर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
2. वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं 18 मई, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा | वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।
5. प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।
6. कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाए।
7. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा
8. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जाएगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

10. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।
11. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
12. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
13. पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 में इंगित नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7- 83 दस-2021, दिनांक 27 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्याः 09/2021/2536(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन, लखनऊ/ अलीगढ़ ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, अलीगढ़ ।
(6) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(8) समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in